भारत सरकारकार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)\* \* \*

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या ：714

（दिनांक 16.08.2012 को उत्तर के लिए）

**केन्‍द्रीय भंडार की खरीद/बिक्री दरें**

**714. श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस सूचना को संसद अथवा राज्‍य विधान सभा को देने से इंकार नहीं किया जा सकता, उस सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) (ञ) के उपबंधों के अनुसार किसी व्‍यक्ति को देने से इंकार नहीं किया जाएगा;

(ख) क्‍या केन्‍द्रीय भंडार ने विभिन्‍न संसदीय प्रश्‍नों के जवाब में संसद को अपनी खरीद और बिक्री दरें प्रस्‍तुत की हैं;

(ग) यदि हां, तो केन्‍द्रीय भंडार द्वारा सूचना मांगने वालों को सूचना का अधिकार के अंतर्गत मदों की खरीद और बिक्री दरें न बताए जाने के क्‍या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए क्‍या कार्रवाई करने का विचार है कि केन्‍द्रीय भंडार, सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपनी खरीद और बिक्री मूल्‍यों का खुलासा करे ?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वे. नारायणसामी)**

(क) : जी, हां ।

(ख) : जी, हां । जैसा और जब मांगा जाता है ।

(ग) : केन्‍द्रीय भण्‍डार ने यह सूचित किया है कि सूचना का अधिकार के तहत मदों की क्रय और विक्रय दरों का प्रकटन वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना के प्रकटन के संबंध में उनकी नीति के तहत किया जाता है । इस नीति के अनुसार, वर्तमान वर्ष से कम से कम चार वर्ष पहले तक की ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं किया जाता है । यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) (घ) के तहत छूट के प्रावधान पर आधारित है ।

(घ) : प्रश्‍न नहीं उठता ।

**\*\*\*\*\*\*\*\*\***